

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 12/019

तारीख रजु 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

:—प्रार्थी

बनाम

- 1 हरीसिंह पुत्र मोहरसिंह
- 2 प्रहलादसिंह पुत्र मोहरसिंह
- 3 रूपेसिंह पुत्र मोहरसिंह
- 4 दुलारी पुत्री मोहरसिंह
- 5 सीमा पुत्री मोहरसिंह
- 6 रूपन पुत्री मोहरसिंह
- 7 रामरथ पुत्री मोहरसिंह
- 8 श्योसिंह पुत्र हरगोविन्द

समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान मूडिया तहसील
टोडाभीम जिला करौली

— अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 12.06.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थी के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 55, 56 किता 2 रकवा 0.39 है०.ग्राम मुडिया तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 34, 36 किता 2 रकवा 1 वीधा 11 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन पोखर के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2037 से 40 यह भूमि मोहरसिंह, श्रीराम, श्योसिंह पिसरान हरगोविन्द जाति गुर्जर निवासी मुडिया तहसील टोडाभीम के नाम जरिये आवंटन से खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 34,36 किता 2 का नवीन खसरा नम्बर 55, 56 किता 2 बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थीयान के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नहीं होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी०बी०सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 55, 56 किता 2 रकवा 0.39 है० वाके ग्राम मुडिया को वापस राजकीय भूमि गैरमुमकिन पोखर को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीयान का तामिल विधिवत होने पर नियत दिवस को ना तो स्वयं उपस्थित हुआ और ना ही इस प्लीडर उपस्थित आया। कोई जबाव पेश नहीं किया गया है।




प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, नकल जमाबंदी सम्बत 2000 से 2019, 2036 से 40, 2072 से 75, मिलान क्षेत्रफल, हाल जमाबंदी खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश पेश की है।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बत 2000 से 2019 की खाता सख्या 01 में आराजी खसरा नम्बर 34, 36 विस्वा भूमि गैरमुमकिन पोखर के नाम से दर्ज रिकार्ड था जो कि इस आराजी में से मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2037 से 40 में परिवर्तन होकर मोहरसिंह, श्रीराम, श्योसिंह पिसरान हरगोविन्द जाति गुर्जर निवासी मुडिया तहसील टोडाभीम के नाम आराजी खसरा नम्बर 55, 56 किता 2 रकवा 0.39 है। खातेदारी स्वीकृत हुयी थी इसके बाद नवीन खसरा नम्बर 55, 56 किता 2 रकवा 0.39 है। किस्म बरानी ए हाल जमाबंदी सम्बत 2072 से 75 में अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालब, नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नहीं होते हैं। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी०बी०सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय में उल्लेख किया है कि All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be ammended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 55, 56 किता 2 रकवा 0.39 है। ग्राम मुडिया तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2000 से 2019 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन पोखर दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.6.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


अति० जिला कलक्टर
करौली